UPJS100051602026

न्यायालय सिविल जज (सी.डि.)/ए.सी.जे.एम ,गरौठा ,जनपद-झाँसी।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-281/2026

सरकार बनाम धर्मेन्द्र आदि।

अन्तर्गत धारा-3/4 जुआ अधिनियम ,
112(2) बी०एन०एस०।
थाना- एरच ,जिला-झाँसी।
मु०अ०सं०-62/2026

निस्तारण प्रथम जमानत प्राथना पत्र

दिनांक-04.06.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **धर्मेन्द्र** एवं **अजय कांत** द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उक्त मामले में झूठा अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।पुलिस द्वारा फर्जी फर्द बरामदगी दिखायी गयी है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत हेतु उचित जामिनान पेश करने को तैयार है। अतः दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्त जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है।

2. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण की जमानत का आपराधिक इतिहास संबंधित थाने से आहूत किया गया था। अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास संबंधित थाने से उपलब्ध है। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

3. सुना व समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

4. अभियुक्तगण जिला कारागार में दिनांक 23.05.2026 से निरूद्ध हैं। संबंधित थाने से अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास आहूत किया गया था। संबंधित थाने से अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आपराधिक इतिहास से विदित होता है कि अभियुक्तगण के ऊपर इस मुकदमें के अतिरिक्त अन्य कोई मुकदमा नहीं है। मामला फर्द बरामदगी पर आधारित है। फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है व 7 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है। अभियुक्तगण दिनांक 23.05.2026 से जिला कारागार झाँसी में निरूद्ध हैं।

5. अतः मामले से समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों एवं गुण दोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए अभियुक्तगण **धर्मेन्द्र** एवं **अजय कांत** का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

6. अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंकन 20,000/- रू० का एक बंधपत्र व इसी धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है:-

a- अभियुक्तगण नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते रहेंगे।

b- अभियुक्तगण प्रश्नगत अपराध की प्रकृति का अन्य अपराध कारित नहीं करेंगे।

c- अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों व साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की टैम्परिंग/छेड़छाड़ आदि नहीं करेंगे।

(मयंक प्रकाश)
सिविल जज (सी०डि०)/ए.सी.जे.एम.
गरौठा ,जनपद-झाँसी।
J.O.Code-UP2293

Digitally signed by MAYANK PRAKASH
Date: 2026.06.04 12:56:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court